प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला **जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर** वर्ष **2022**
प्र0इ0रि0 सं. ....325/2022........दिनांक........24/8/2022

2. **(I)** अधिनियम ...**पी0सी0 एक्ट 1988** .... धारायें. 13(1)(ई)सपठित धारा 13(2) एवं धारा 13(1)(बी)सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018
(II) * अधिनियम ...भा0द0स0 ... . धारायें ....
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....429........समय 1-30P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन .... समय
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – . . .. समय– .. . पी.एम.

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक अपराध संख्या 231/2019

5. घटनास्थल:– –
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– –
(ब) पता– बी–36, आशीष विहार जगतपुरा, जयपुर
बीट संख्या..........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– **श्री परमेश्वर लाल (खाना तलाशी रिपोर्ट के आधार पर)**
(ब) पिता/पति का नाम –
(स) जन्म तिथी/वर्ष –
(द) राष्ट्रीयता ....भारतीय..
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय– –
(ल) पता– **उप अधीक्षक पुलिस, एसआईयू, जयपुर**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –
1–श्रीमती अनुसूया कुमारी पत्नि श्री जे.पी. कांवट, उम्र 57 साल निवासी बी–36, आशीष विहार, जगतपुरा, तत्कालीन सहायक आयुक्त(वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टेक्स) वाणिज्यक कर संभाग–तृतीय, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) 10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

निवेदन है प्रकरण संख्या 231/2019 दिनांक 02.08.2019 में आरोपिया अधिकारी श्रीमती अनुसूया कुमारी को 1,20,000/–रू0 की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया जाकर उनके आवास स्थान बी–36, आशीष विहार जगतपुरा जयपुर की खाना तलाशी ली गई। खाना तलाशी में मिले सामान/दस्तावेजात/नकद राशि इत्यादि के संबंध में जांच की गई। जांच

के दौरान आरोपिया के आय–व्यय/अर्जित सम्पतियों से संबंधित दस्तावेज/रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। आरोपिया के निवास स्थान की खाना तलाशी के जांच उपरांत आरोपिया श्रीमती अनुसूया कुमारी तत्कालीन सहायक आयुक्त(वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टेक्स) वाणिज्यक कर संभाग–तृतीय, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर, की अर्जित आय, व्यय एवं परिसम्पत्तियों का चैक अवधि दिनांक 07.12.1992 से दिनांक 02.08.2019 तक का विवरण प्रपत्र " अ,ब,स,द," निम्नानुसार है।

विवरण – " अ "

दिनांक 07.12.1992 से पूर्व अर्जित सम्पत्तियों का विवरण:–आरोपिया श्रीमती अनुसूया कुमारी तत्कालीन सहायक आयुक्त(वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टेक्स) वाणिज्यक कर संभाग–तृतीय, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर, के नाम चल व अचल सम्पत्तियों एवं बैंक खातों में बैलेंस राशि शून्य है।

विवरण – " ब "

आरोपिया श्रीमती अनुसूया कुमारी तत्कालीन सहायक आयुक्त(वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टेक्स) वाणिज्यक कर संभाग–तृतीय, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर, के नाम से दिनांक 02.08.2019 को मौजूद पायी गई परिसम्पत्तियों का विवरण निम्न हैं:–

क्र. सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	खरीदने/निवेश दिनांक/वर्ष	किसके नाम खरीदी गई–आरोपी से सम्बन्ध	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	दिनांक 02.08.2019 को श्रीमती अनुसूया कुमारी तत्कालीन सहायक आयुक्त(वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टेक्स) वाणिज्यक कर संभाग–तृतीय, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर, के निवास स्थान मकान नं. बी 36, आशीष विहार जगतपुरा जयपुर की खाना तलाशी के दौरान पाये गये सामान की कीमत फर्द खाना तलाशी के अनुसार 20,30,200/रूपये आंकी गई। इस प्रकार घरेलू सामान पर क्रय की गई राशि 20,30,200/रूपये की गणना आरोपिया की परिसम्पति मद में की गई है।	07.12.1992 से दिनांक 02.08.2019	खानातलाशी फर्द के अनुसार आरोपिया के द्वारा	20,30,200
2	पीएनबी बैंक, बापू नगर, जयपुर के सयुक्त लॉकर श्री जेपी कांवट व श्रीमती अनुसूया कुमारी में पाई गई सोने व चांदी की ज्वैलरी की कीमत की गणना आरोपिया की परिसम्पति मद में की गई है।	07.12.1992 से दिनांक 02.08.2019	श्री जेपी कांवट ने अपनी पुत्रियों का स्त्रीधन होना बताया	8,02,145
3	आरोपिया के निवास स्थान की खाना तलाशी दिनांक 02.08.2019	07.12.1992 से दिनांक 02.08.	खानातलाशी फर्द के	53,11,620

	को पायी गई नगद राशि 53,11,620 / रूपये की गणना आरोपिया की परिसम्पति मद में की गई है।	2019	अनुसार	
4	दिनांक 02.08.2019 को श्रीमती अनुसूया कुमारी तत्कालीन सहायक आयुक्त(वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टेक्स) वाणिज्यक कर संभाग–तृतीय, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर, के निवास स्थान मकान नं. बी 36, आशीष विहार जगतपुरा जयपुर की खाना तलाशी के दौरान श्रीमती अनुसूया कुमारी के बैडरूम में लोहे की आलमारी में पाई गई सोने–चांदी की ज्वैलरी की कीमत (मुताबिक स्वर्णकार) के 4,27,145 / रूपये आंकी गई एवं हॉल में रखी आलमारी में पाई गई सोने–चांदी की ज्वैलरी की कीमत 12,57,200 आंकी गई इस प्रकार ज्वैलरी पर क्रय की गई कुल राशि 4,27,145 + 12,57,200 = 16,84,345 रूपये की गणना आरोपिया की परिसम्पति मद में की गई है।	07.12.1992 से दिनांक 02.08. 2019	खानातलाशी फर्द के अनुसार	16,84,345
5	आरोपिया के एसबीआई बैंक, शाखा तिलक मार्ग, जयपुर के खाता संख्या 51052203896 में अन्तिम बैलेन्स 2,19,531 (बैंक खाता स्टेटमेन्ट के अनुसार) है उक्त राशि की गणना आरोपिया की परिसम्पति मद में की गई है।	07.12.1992 से दिनांक 02.08. 2019	बैंक खाता स्टेटमेन्ट के अनुसार	2,19,531
6	आरोपिया के एक्सिस बैंक सी स्कीम जयपुर के खाता संख्या 010010100331906 में अंतिम बैलेंन्स दिनांक 06.08.2019 के अनुसार राशि 66,96,355 (बैंक खाता स्टेटमेन्ट के अनुसार) है उक्त राशि की गणना आरोपिया की परिसम्पति मद में की गई है।	07.12.1992 से दिनांक 02.08. 2019	बैंक खाता स्टेटमेन्ट के अनुसार	66,96,355
7	आरोपिया के पुत्र श्री रोहित कुमार के एसबीआई बैंक शाखा कैलगिरी अस्पताल, जयपुर के खाता संख्या 30059403179 में अंतिम बैलेन्स राशि 1,62,876 व 7,17,000 / – कुल 8,79,876 रूपयें पीपीएफ (बैंक खाता स्टेटमेन्ट के अनुसार) है उक्त राशि की गणना आरोपिया की	07.12.1992 से दिनांक 02.08. 2019	आरोपिया द्वारा बेटे की नौकरी से पूर्व	8,79,876

	परिसम्पति मद में की गई है।			
8	आरोपिया के पुत्र श्री अभिमन्यू सिंह के एक्सिस बैंक शाखा तिलक नगर, जयपुर के खाता संख्या 916010059696329 में अंतिम बैलेन्स राशि 38,342/– (बैंक खाता स्टेटमेन्ट के अनुसार) है उक्त राशि की गणना आरोपिया की परिसम्पति मद में की गई है।	07.12.1992 से दिनांक 02.08. 2019	आरोपिया द्वारा आरोपी का छोटा बेटा अध्ययन कर रहा है।	38,342
	परिसम्पतियों का कुल योग			1,76,62,414 /

विवरण – " **स** "

आरोपी श्रीमती अनुसूया कुमारी तत्कालीन सहायक आयुक्त(वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टेक्स) वाणिज्यक कर संभाग–तृतीय, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर, के दिनांक 07.12.1992 से दिनांक 02.08.2019 तक की अवधि में शुद्ध आय, जैसे वेतन, पूर्व निवेश पर ब्याज आदि से हुई आय का विवरण निम्न हैं :–

क्र. सं.	आय का शीर्षक	आय प्राप्त होने की दिनांक/वर्ष/अवधि	किसके नाम से क्रय की गई/आरोपी से सम्बन्ध	शुद्ध आय की राशि (रूपये) में
1	श्रीमती अनुसूया कुमारी तत्कालीन सहायक आयुक्त(वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टेक्स) वाणिज्यक कर संभाग–तृतीय, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर के दिनांक 07.12.1992 से दिनांक 02.08.2019 तक वेतन से शुद्ध आय 91,66,713/– (दिसम्बर 1992 से 15 जनवरी 1996 तक का जीए 55 उपलब्ध नही होने के कारण इनके वेतन की आय 5000 रूपये प्रतिमाह मानकर कुल 1,80,000/– रूपये अनुमानित मानी गयी)	दिनांक 07.12. 1992 से 02.08. 2019	आरोपी स्वयं द्वारा	93,46,713 /
2	श्रीमती अनुसूया कुमारी के ऐक्सिस बैंक, शाखा अशोक मार्ग, खाता संख्या 010010100331906 से प्राप्त ब्याज राशि जिसकी गणना आरोपिया की आय में की जायेगी।	दिनांक 01.04. 2005 से वर्ष 2019 तक	आरोपिया स्वयं द्वारा	14,99,761 /
	आय का कुल योग			1,08,46,474 /

विवरण -- " द "

आरोपिया अधिकारी श्रीमती अनुसूया कुमारी, तत्कालीन सहायक आयुक्त(वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टेक्स) वाणिज्यक कर संभाग--तृतीय, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर के दिनांक 07.12.1992 से दिनांक 02.08.2019 तक की अवधि में किये गये खर्चो का विवरण निम्न हैः--

क्र. सं.	व्यय का शीर्षक	खर्च करने की दिनांक/वर्ष/अवधि	किसके द्वारा खर्च किया गया/आरोपी से सम्बन्ध	खर्च की राशि (रूपये)
1	सकल वेतन राशि (–) आयकर की राशि का 1/3 व्यय रसोई पर खर्च सकल वेतन– 1,12,46,097 -- 8,45,478(आयकर)= 1,04,00,619/– का 1/3 = 34,66,813/--	दिनांक वर्ष 1992 से वर्ष 2019	आरोपिया द्वारा	34,66,813/
2	आरोपिया के पुत्र श्री अभिमन्यू सिंह के नाम से जारी एलआईसी पॉलिसी नम्बर 476454917 जो दिनांक 17.03.2015 से शुरू है जिसका वार्षिक प्रिमियम 12,556 है उक्त पॉलिसी में कुल व्यय राशि 12,556 X 4 = 50,224/रूपये आरोपिया द्वारा व्यय की जाने पर उक्त राशि की गणना आरोपिया की व्यय मद में की गई है। उक्त रा	वर्ष 2015 से 2019 तक	आरोपिया द्वारा	50,224
3	आरोपिया के नाम से जारी एलआईसी पॉलिसी नम्बर 476454916 जो दिनांक 17.03.2015 से शुरू है जिसका वार्षिक प्रिमियम 9,375 है उक्त पॉलिसी में कुल व्यय राशि 9,375 X 4 = 37,500/रूपये आरोपिया द्वारा व्यय की जाने पर उक्त राशि की गणना आरोपिया की व्यय मद में की गई है।	वर्ष 2015 से 2019 तक	आरोपिया स्वयं द्वारा	37,500
4	आरोपिया द्वारा अपने दोनो पुत्रो को प्रतिष्ठित स्कुलो एवं आईआईटी, मुम्बई श्री रोहित सिंह एवं आईआईटी कानपुर श्री अभिमन्यू सिंह के शिक्षा प्राप्त करना पाया गया है। जिस पर अनुमानित व्यय	1994 से 2018	आरोपिया द्वारा	20,00,000/
5	आरोपिया श्रीमती अनुसूया कुमारी	वर्ष 2017	आरोपिया द्वारा	6,00,000/

	व श्री कुंवरजी भाई पटेल निवासी 4, नवरंग सोसायटी, सुरेन्द्र नगर, गुजरात के मध्य 500 रूपयें के शपथ पर दिनांक 14.06.2017 को वैगनआर कार नम्बर जीजे 13एफएफ 1705 की नोटेराईज्ड स्पेशल पॉवर ऑफ अटॉर्नी की प्रति अनुमानित कीमत– 6,00,000/–			
6	आरोपिया के नाम से दिनांक 27.05.2002 का भारतीय औधोगिक विकास बैंक का बॉन्ड पत्र जिसकी व्यय राशि 10,000 रूपयें है उक्त राशि की गणना आरोपिया की व्यय मद में की गई है।	वर्ष 2002	आरोपिया द्वारा	10,000
7	आरोपिया के नाम से जारी बिरला सन लाईफ, इन्श्योरेन्स पॉलिसी नम्बर 002577733 जो दिनांक 09.03.2009 से शुरू है जिसकी वार्षिक प्रिमियम राशि 20,000 है उक्त पॉलिसी में कुल व्यय राशि 20,000 X 10 = 2,00,000/रूपये आरोपिया द्वारा व्यय की जाने पर उक्त राशि की गणना आरोपिया की व्यय मद में की गई है।	वर्ष 2009 से 2019	आरोपिया द्वारा	2,00,000
8	आरोपिया के पुत्र श्री रोहित सिंह के नाम से जारी एलआईसी पॉलिसी नम्बर 198162518 जो दिनांक 04.06.2010 से शुरू है जिसका वार्षिक प्रिमियम 11,362 है उक्त पॉलिसी में कुल व्यय राशि 11,362 X 9 = 1,02,258/रूपये आरोपिया द्वारा व्यय की जाने पर उक्त राशि की गणना आरोपिया की व्यय मद में की गई है।	वर्ष 2010 से 2019	आरोपिया द्वारा	1,02,258
9	आरोपिया के पुत्र श्री अभिमन्यू सिंह के नाम से जारी एलआईसी पॉलिसी नम्बर 195121914 जिसका वार्षिक प्रिमियम 11,811 है उक्त पॉलिसी में कुल व्यय राशि 11,811 X 14 = 1,65,354/रूपये आरोपिया द्वारा व्यय की जाने पर उक्त राशि की गणना आरोपिया की व्यय मद में की गई है।	वर्ष 2005 से 2019	आरोपिया द्वारा	1,65,354
10	आरोपिया के नाम से जारी एलआईसी पॉलिसी नम्बर 191819130 जिसका वार्षिक प्रिमियम 9493 रूपयें है उक्त पॉलिसी में कुल व्यय राशि 9,493 X 19 = 1,80,367/रूपये	वर्ष 2000 से 2019	आरोपिया द्वारा	1,80 367

	आरोपिया द्वारा व्यय की जाने पर उक्त राशि की गणना आरोपिया की व्यय मद में की गई है।			
11	आरोपिया के पति श्री जगदीश प्रसाद कावंट के नाम से जारी सावधि जमा रसीद नम्बर 36160 जिसकी प्रिमियम 10,00,000 रूपयें है उक्त एफडी में कुल व्यय राशि 10,00,000/रूपये आरोपिया द्वारा व्यय की जाने पर उक्त राशि की गणना आरोपिया की व्यय मद में की गई है।	वर्ष 2019 से 2020	आरोपिया के पति श्री जेपी कांवट के नाम	10,00,000
12	आरोपिया के पुत्र श्री रोहित सिंह के नाम से गाडी नम्बर आरजे 14 सीके 0935 मारूति रिट्ज कार का रजिस्ट्रेश सर्टीफिकेट में दर्शाई गई कीमत 4,42,093+ 22,150 = 4,64,243 रूपये आरोपिया द्वारा व्यय की जाने पर उक्त राशि की गणना आरोपिया की व्यय मद में की गई है। **उक्त गाडी 104929 किमी चली हुई है। जिसका प्रति किलोमीटर तेल का खर्चा 5 रूपये प्रतिकिलोमीटर के लगभग आता है। जिसका कुल तेल का व्यय 1,04,929/- * 5 = 5,24,645/- रूपये**	वर्ष 2010 वर्ष 2010 से 2019	आरोपिया द्वारा	4,64,243/- **5,24,645/-**
13	आरोपिया के पुत्र श्री रोहित सिंह के नाम गाडी नम्बर आरजे 14 सीके 0935 मारूति रिट्ज कार का वर्ष 2010, 2011 का इश्योरेन्स जिसका सालान वार्षिक प्रिमियम में व्यय कुल राशि 12551+ 10,209 = 22,760 रूपये आरोपिया द्वारा व्यय की जाने पर उक्त राशि की गणना आरोपिया की व्यय मद में की गई है।	वर्ष 2010	आरोपिया द्वारा	22,760
14	आरोपिया के मकान की तलाशी में मिले 500 रूपयें का 1 स्टाम्प एवं 50 रूपये के 49 स्टाम्प जो कि बलबीर सिंह, मन्जू देवी व अन्य के नाम से है उक्त स्टाम्पो पर व्यय राशि 500+2,450 = 2,950 रूपये आरोपिया द्वारा व्यय की जाने पर उक्त राशि की गणना आरोपिया की व्यय मद में की गई है।	वर्ष 2018	आरोपिया द्वारा	2,950
15	आरोपिया के पुत्र श्री रोहित सिंह के नाम से जारी एलएण्डटी इन्फ्राटक्चर फाईनेन्स कम्पनी	वर्ष 2012	आरोपिया द्वारा	20,000

	लिमिटेड द्वारा जारी बॉण्ड जिसके अलॉटमेन्ट नम्बर 133344 जो दिनांक 10.01.2012 से शुरू है जिसका प्रिमियम व्यय 20,000 है उक्त बॉण्ड में कुल व्यय राशि 20,000 रूपये आरोपिया द्वारा व्यय किये जाने पर उक्त राशि की गणना आरोपिया की व्यय मद में की गई है।			
16	आरोपिया के मकान की तलाशी में श्रीमती शकुन्तला के नाम से एसबीबीजे बैंक के खाता संख्या 61086334712 की 2,13,705 रूपये एवं खाता संख्या 61086278257 की 2,20,000 रूपयें की 02 एफडी उक्त एफडी पर व्यय कुल राशि 2,13,705+2,20,000 = 4,33,705 रूपये आरोपिया द्वारा व्यय किये जाने पर उक्त राशि की गणना आरोपिया की व्यय मद में की गई है।	वर्ष 2010	आरोपिया द्वारा	4,33,705
17	आरोपिया के पुत्र श्री रोहित के नाम से दिनांक 05.10.2005 को ग्लास खरीदने का वाउचर जिसमें व्यय राशि 23,890/रूपये है आरोपिया के पुत्र द्वारा व्यय की जाने पर उक्त राशि की गणना आरोपिया के व्यय मद में की गई है।	वर्ष 2005	आरोपिया द्वारा	23,890
18	आरोपिया के पुत्र श्री रोहित के नाम से दिनांक 27.02.2012 को यामाहा एफ जेड 16 पावर बाईक खरीदने का पांछी एन्टरप्राईजेज बैंगलोर का वाउचर जिसमें व्यय राशि 80,921/रूपये है आरोपिया के पुत्र द्वारा व्यय की जाने पर उक्त राशि की गणना आरोपिया के व्यय मद में की गई है। उक्त **बाईक नम्बर केए 03 एचएम 6132 कुल 17267 किमी चली हुई है-जो 2 रूपये किलोमीटर का तेल खर्च करती है। 34,534/- रूपये तेल खर्चा**	वर्ष 2012 वर्ष 2012 से 2019	आरोपिया द्वारा	80,921/ **34,534/-**
19	आरोपिया के पति श्री जगदीश प्रसाद कावंट के नाम से क्रय की गई ओडी क्यू 3, कार नम्बर आरजे 14 सीटी 3071 जो पूर्व में श्री राजेश टिंकर के नाम रजिस्टर्ड थी उक्त गाडी श्री जगदीश प्रसाद कावंट के नाम ट्रांसफर होने की ई	वर्ष 2019	आरोपिया के पति द्वारा	15,87,150/-

	चालान रसीद दिनांक 18.02.2019 व्यय राशि 87,150 रूपयें एवं उक्त गाड़ी की कीमत इंश्योरेन्स पॉलिसी के मुताबिक 15,00,000 रूपयें है इस प्रकार कुल व्यय राशि 15,87,150 रूपये है। **उक्त गाडी 52273 किमी चली हुई है।** आरोपिया के पति द्वारा व्यय की जाने पर उक्त राशि की गणना आरोपिया के पति के व्यय मद में की गई है। उक्त गाडी आरोपीया के पति द्वारा उनके रिटायरमेन्ट के 13 वर्ष पश्चात खरीदी है। अतः इससे यह प्रतीत होता है इसका व्यय आरोपीया ने वहन किया है। **उक्त गाडी 52273 किमी चली हुई है। जिसका डीजल का खर्चा 15 रूपये किलोमीटर है। इस प्रकार इसकी कुल तेल खर्च की राशि 7,84,095/– रूपये है।** चूंकि गाडी के टायर 25.12.2018 को आरोपीया के पति ने 31,600/– रूपये में खरीदे है। इससे यह प्रतीत होता है कि यह गाडी किसी दुसरे के नाम खरीद कर स्वय उपयोग करना पाया जाता है।	वर्ष 2018 से 2019		**7,84,095/–**
20	आरोपिया के नाम से क्रय की गई मोटरसाईकिल हिरोहोण्डा नम्बर आरजे 14 11एम 7067 के वार्षिक इन्श्योरेन्स पॉलिसी की रसीद जिसमें व्यय राशि वर्ष 2011–381 रूपयें, इस प्रकार कुल व्यय राशि 381/रूपये है आरोपिया द्वारा व्यय की जाने पर उक्त राशि की गणना आरोपिया के व्यय मद में की गई है।	वर्ष 2011	आरोपिया द्वारा	381
21	आरोपिया द्वारा अपने पुत्र रोहित की शादी वर्ष 2016 में करना बताया शादी पर व्यय की गई अनुमानित व्यय राशि 20,00,000/– रूपये	वर्ष 2016	आरोपिया द्वारा	20,00,000/
	व्यय की गई राशि का कुल योग			**1,37,91,790/–**

क. चेक अवधी से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य (प्र–पत्र " अ " का योग) = शून्य

ख. चेक अवधी के अन्त में मौजूद परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य (प्र–पत्र " ब " का योग) = राशि 1,76,62,414/रूपये

ग. चेक अवधी के दौरान खरीदी/अर्जित सम्पत्तियों का कुल मूल्य = 1,76,62,414/रूपये

घ. चेक अवधी के दौरान आरोपीया की शुद्ध आय (प्रपत्र " स " का योग) = 1,08,46,474/–रूपये

ड़. चेक अवधी के दौरान किये गये खर्चे की राशि (प्र पत्र " द " का योग) = 1,37,91,790 /–रूपये

च. चेक अवधी के दौरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियों एवं व्यय (ख + ड़ का योग) =1,76,62,414 + 1,37,91,790 = 3,14,54,204/–रूपये

छ. आय से अधिक सम्पति (च–घ का योग) = 3,14,54,204– 1,08,46,474 = 2,06,07,730 रूपये
ज. आय से अधिक सम्पत्तियों का प्रतिशत छ/घ = 2,06,07,730/1,08,46,474 = 189.99% प्रतिशत

इस प्रकार श्रीमति अनुसुया कुमारी पत्नि श्री जगदीश प्रसाद कांवट सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग झालाना डुंगरी राजस्थान जयपुर निवासी म0न0 बी 36 आशीष विहार जगतपुरा जयपुर राजस्थान द्वारा अपने सेवाकाल में स्वयं द्वारा अर्जित आय 1,08,46,474 /रूपये है। आरोपी द्वारा अपने सेवाकाल में स्वयं चेक अवधी के दौरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियों एवं व्यय 3,14,54,304/–रूपये है, जो आरोपी द्वारा अर्जित आय से 2,06,07,830 रूपये (189.99 प्रतिशत) ज्यादा पायी गई है। इसके अतिरिक्त जांच से यह भी पाया गया है कि आरोपियां के पति श्री जगदीश प्रसाद कांवट जो वर्ष 2006 में सेवा से सेवानिवृत हो चुके हैं। सेवानिवृति के बाद उन्होने अपनी पहली पत्नि की एक पुत्र व एक पुत्री की शादी कर चुके है तथा दो प्लॉट जिनकी कीमत लगभग 60 लाख है एवं दुकान खरीदी गई है।

अतः आरोपिया श्रीमति अनुसुया कुमारी पत्नि श्री जगदीश प्रसाद कांवट सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग झालाना डुंगरी राजस्थान जयपुर निवासी म0न0 बी 36 आशीष विहार जगतपुरा जयपुर राजस्थान द्वारा अपने सेवाकाल 07.12.1992 से 02.08.2019 तक की अवधि में अपनी समस्त ज्ञात आय के स्त्रोतों से अर्जित वैध आय राशि 1,08,46,474 /रूपये के मुकाबले कुल परिसम्पत्तियों एवं व्यय 3,14,54,304/–रूपये पायी गई जो आरोपियां द्वारा अर्जित आय से 2,06,07,830 रूपये (189.99 प्रतिशत) ज्यादा पायी गई है। आरोपियां से 189.प्रतिशत ज्यादा परिसम्पतियां अर्जित करना जांच से प्रथम दृष्टया पाया गया है एवं आरोपिता श्रीमति अनुसुया कुमारी पत्नि श्री जगदीश प्रसाद कांवट सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग झालाना डुंगरी राजस्थान जयपुर निवासी म0न0 बी 36 आशीष विहार जगतपुरा जयपुर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(ई)सपठित धारा 13(2) पीसी एक्ट 1988 एवं धारा 13(1)(बी)सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्ट्या पारित करना पाया गया है। अतः आरोपियां श्रीमति अनुसुया कुमारी पत्नि श्री जगदीश प्रसाद कांवट सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग झालाना डुंगरी राजस्थान जयपुर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है।

(परमेश्वर लाल)
पुलिस उप अधीक्षक,
विशेष अनुसंधान ईकाई,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 13(1)(ई), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती अनुसूया कुमारी पत्नी श्री जे.पी. कांवट, तत्कालीन सहायक आयुक्त (वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टेक्स) वाणिज्यक कर सम्भाग-तृतीय, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 325/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 2842-47 दिनांक 24.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1,जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग, जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

24.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।